

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर दूरभाष-0141- 2225619

क्रमांक: F2(1)RUDA/store/NGO/2025-26/1427

दिनांक : 27.05.2025

अभिरुचि आमंत्रण प्रस्ताव सूचना

वर्ष 2025-26


ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किये जाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए राज्य में गैर कृषि क्षेत्र के दस्तकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं एक्सपोजर विजिट इत्यादि के आयोजनों में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को सूचीबद्ध करने हेतु ई-उपापन के माध्यम से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	कार्य	ऑन लाइन निविदा प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक व समय	अनुमानित कुल व्यय	प्रतिभूति राशि अधिकतम 2 प्रतिशत	ई-उपापन हेतु प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र का शुल्क
1	NGO Empanelment for Training programmes, Workshops, Exposure Visit etc.	19.06.2025 6.00 PM तक	24.00 लाख	48,000 /-	500 /-	500 /-

अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निविदा प्रपत्र State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं website www.ruda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदादाता द्वारा केवल ई-उपापन के माध्यम से 19.06.2025 को 6.00 PM तक ऑन लाइन आवेदन किये जा सकते हैं।

निविदादाता को बोली दस्तावेज की शुल्क राशि रुपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रुपये 48000/- बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "RURAL NON FARM DEVELOPMENT AGENCY, JAIPUR, के नाम, उपापन फीस राशि रुपये 500/- का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MD RISL, JAIPUR, के नाम से देय, अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ सूचीबद्ध करने की शर्त संख्या 10 के अनुसार 100 रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिये जाने वाला मूल शपथ पत्र सीलबन्द लिफाफे में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, मूल शपथ-पत्र सील बन्द लिफाफे में प्रबन्ध निदेशक रूडा के नाम से 20.06.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में जमा कराना आवश्यक होगा। दिनांक 20.06.2025 को 3.00 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। अभिरुचि प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। अन्य विवरण एवं शर्तें प्रपत्र में अंकित हैं।


27.05.2025
उपमहाप्रबंधक



ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर दूरभाष-0141- 2225619

क्रमांक: F2(1)RUDA/store/NGO/2025-26/

दिनांक :

अभिरुचि आमंत्रण प्रस्ताव सूचना

वर्ष 2025-26

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किये जाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए राज्य में गैर कृषि क्षेत्र के दस्तकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं एक्सपोजर विजिट इत्यादि के आयोजनों में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को सूचीबद्ध करने हेतु ई-उपापन के माध्यम से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	कार्य	ऑन लाइन निविदा प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक व समय	अनुमानित कुल व्यय	प्रतिभूति राशि अधिकतम 2 प्रतिशत	ई-उपापन हेतु प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र का शुल्क
1	NGO Empanelment for Training programmes, Workshops, Exposure Visit etc.	19.06.2025 6.00 PM तक	24.00 लाख	48,000/-	500/-	500/-

अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निविदा प्रपत्र State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं website www.ruda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदादाता द्वारा केवल ई-उपापन के माध्यम से 19.06.2025 को 6.00 PM तक ऑन लाइन आवेदन किये जा सकते हैं।

निविदादाता को बोली दस्तावेज की शुल्क राशि रुपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रुपये 48000/- बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "RURAL NON FARM DEVELOPMENT AGENCY, JAIPUR, के नाम, उपापन फीस राशि रुपये 500/- का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MD RISL, JAIPUR, के नाम से देय, अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ सूचीबद्ध करने की शर्त संख्या 10 के अनुसार 100 रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिये जाने वाला मूल शपथ पत्र सीलबन्द लिफाफे में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, मूल शपथ-पत्र सील बन्द लिफाफे में प्रबन्ध निदेशक रूडा के नाम से 20.06.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में जमा कराना आवश्यक होगा। दिनांक 20.06.2025 को 3.00 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। अभिरुचि प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। अन्य विवरण एवं शर्तें प्रपत्र में अंकित हैं।


27.05.2025
उपमहाप्रबंधक

निविदा फॉर्म

1. प्रेषक:

क.	गैर सरकारी संगठन का नाम, पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
ख.	पता	
ग.	दूरभाष नं. / मोबाईल नं.	
	ई मेल	

2. निविदा संदर्भ :

दिनांक

क.	गैर सरकारी संगठन का नाम	
ख.	संबंधित/सम्पर्क व्यक्ति का नाम	
ग.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ.	दूरभाष नं./मोबाईल नं.	
ङ.	ई मेल आई डी	

3. निविदा-फॉर्म फीस (रु. 500/-) का विवरण-डीडी/बैंकर चेक संख्या.....दिनांक.....

4. MD, RISL की शुल्क राशि रूपये 500/-का विवरण:- डीडी/बैंकर चेक संख्या.....
दिनांक.....

5. प्रतिभूति राशि रूपये 48000/- का विवरण- डीडी/बैंकर चेक संख्या.....दिनांक.....

...

दिनांक

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय सील

तकनीकी भाग

1.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का नाम	
2.	संगठन कार्यालय का पूर्ण पता मय पिन कोड	
3.	मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का नाम क. दूरभाष नं. ख. मोबाईल नं. ग. ई मेल पता	
4.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का पैन नम्बर	
5.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा गत 3 वर्षों (2022-23 से 2024-25) में सम्पन्न किये गये कार्यक्रमों के संबंध में सूचना एवं संस्था का 01.04.2020 से पूर्व का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें। (शर्त संख्या 1)	
6.	गत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशाला का कार्यानुभव (न्यूनतम 1.00 लाख रु. का एक कार्यादेश) अंकित करें। (शर्त संख्या 3)	
7.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा उनकी प्राथमिकता अनुसार TSP/SCSP क्षेत्र अंकित करें जहां वे प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करने के इच्छुक हैं। (इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय रूडा का होगा)	
8.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा गत 3 वर्षों (2022-23 से 2024-25) में टर्न ओवर (औसत प्रतिवर्ष 5.00 लाख) का सनदी-लेखाकार से प्रमाणित प्रमाण पत्र (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, शर्त सं. 7)	
9.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के विधान में उद्देश्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का उल्लेख (विधान की प्रति संलग्न करें, शर्त सं. 8)	
10.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र (शर्त संख्या 10)	
11.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट में कार्यरत नियमित स्टॉफ की संख्या मय सम्पूर्ण विवरण संलग्न करें। (शर्त संख्या 13)	
12.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि का विवरण (शर्त संख्या 15)	
13.	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो तो	

दिनांक

हस्ताक्षर संगठन प्रतिनिधि मय सील

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	शर्त संख्या	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	दस्तावेजों की संख्या	हाँ/नहीं
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

ऊपर वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी संगठन संलग्न कर सकता है।

दिनांक

हस्ताक्षर संगठन प्रतिनिधि
मय संस्था सील

शपथ पत्र का प्रारूप

(Rs.100/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करें)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री उम्र..... निवासी
..... जो कि नामक गैर सरकारी
संगठन/ट्रस्ट में पद पर कार्यरत हूँ, सशपथ घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के हित में निविदा प्रपत्र भर कर हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया गया है।
2. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को गत 3 वर्षों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला (न्यूनतम 1.00 लाख रु. का एक कार्यादेश) आयोजित करने का अनुभव है।
3. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ़्ता नहीं है।
4. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष है।
5. आवेदक गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट का वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 वर्ष का औसत वार्षिक टर्न ओवर रूपये 5.00 लाख है।
6. आवेदक गैर सरकारी संगठन के पास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन एवं स्टाफ उपलब्ध है।
7. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
8. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट विधान के उद्देश्यों में दस्तकारों के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण आदि का उद्देश्य अंकित है।
10. मैं, गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का प्राधिकृत प्रतिनिधि संस्था की ओर से यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी संस्था का सूचीबद्ध होना किसी भी प्रकार से रूडा की परियोजना के संचालन में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता है।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
12. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक रूडा का मान्य है।

स्थान:

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
मय मोहर

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री उम्र.....निवासी

..... जो कि नामक गैर सरकारी

संगठन/ट्रस्ट में पद पर कार्यरत हूँ, सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि

उपरोक्त समस्त विवरण/तथ्य मेरी निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, इसमें कोई

तथ्य नहीं छुपाया गया है ईश्वर मेरी मदद करें।



स्थान:
दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
मय मोहर

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा
(बी-ब्लाक, तृतीय तल, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर)

सूचीबद्ध करने की शर्तें

- (1) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को दिनांक 01.04.2020 से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।
- (2) प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु स्थान का चयन रूडा द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु मुख्यतया आदिवासी क्षेत्र (TSP एरिया) एवं अनुसूचित जाति उपक्षेत्र (SCSP) के जिलों में कार्य आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (3) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा गत तीन वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) में किये गये तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं के कार्यादेशों (किसी भी एक वर्ष में न्यूनतम 1.00 लाख रु. का एक कार्यादेश) की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (4) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को पंजीयन का विधिक प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड डीड संलग्न करना आवश्यक है।
- (5) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ़ता नहीं हो एवं संस्था किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं की गयी हो।
- (6) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
- (7) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को गत 3 वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) में औसत वार्षिक टर्न ओवर रूपये 5.00 लाख का सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (8) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा विधान संलग्न करना अनिवार्य है। विधान के उद्देश्यों में प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन अंकित होना आवश्यक है।
- (9) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव में हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किये गये प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर संलग्न करना आवश्यक है।
- (10) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निविदा विनियम एवं शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है एवं गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा निविदा में वर्णित शपथ पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर व नोटरी से सत्यापित संलग्न करना आवश्यक है।
- (11) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को कार्य आवंटन हेतु प्रस्ताव के साथ संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा उनकी संस्था का पैन-कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।

- (13) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा संस्था में कार्यरत न्यूनतम 5 (पाँच) कार्मिकों की सूची मय विवरण अंकित करना आवश्यक है।
- (14) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु कार्य आवंटन का निर्णय रुडा प्रबन्धन का मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का सूचीबद्ध होना किसी प्रकार के कार्य के आवंटन हेतु बाध्यता नहीं है।
- (15) आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को बतौर प्रतिभूति राशि रूपये 48,000/- केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में जमा करानी होगी, इसके अभाव में अभिरुचि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (16) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (17) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के चयन होने पर उनका अनुबन्ध सूचीबद्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा एवं पारस्परिक सहमति से इसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
- (18) अभिरुचि प्रस्ताव स्वीकृति प्राधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।
- (19) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव में उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय ही होंगे।
- (20) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव के निरस्त होने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार लौटायी जायेगी।
- (21) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज को संस्था के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्व प्रमाणित कर हस्ताक्षर मय संस्था की मोहर लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (22) उपरोक्त वर्णित वैध दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेजों के अभाव में संस्था के अभिरुचि प्रस्ताव को अमान्य करार दिया जाएगा।
- (23) गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण अभिरुचि प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, रूडा का है।
- (24) अभिरुचि प्रस्ताव राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि के अध्यक्षीन रहेंगे।
- (25) Empanelment होने के पश्चात् यदि संस्था द्वारा उसे आवंटित कार्य बिना कोई संतोषजनक कारण दिये करने से मना किया जाता है अथवा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संपादित नहीं किया जाता है तो उसे निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा व इसके लिए संस्था/ट्रस्ट के विरुद्ध प्रतिभूति राशि जब्त करने, ब्लैक लिस्ट करने व अन्य कोई शास्ती लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी।